| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्र.सं. 08/2024 जीसीएमएस नं.: 2024/107<br>प्रीतम सिंह बनाम राधाकृष्ण आदि<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। अप्रार्थी सं. 7/1 की ओर से श्री राममिलाप बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया और जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त खाता में दर्ज भूमि में विशिष्ट किलाजात की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अंकित करते हुए संयुक्त खाता की भूमि में से प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में आवागमन के प्रयोजनार्थ रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया जिस अनुसार चक 43 जीबी खाता सं. 62 में प्रार्थी की अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त खाता में भूमि दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत एक खातेदार अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता की मांग कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में वांछित रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में है। जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर समान अधिकार है, ऐसे में प्रार्थी द्वारा विशिष्ट किलाजात को स्वंय का तथ्यांकित करते हुए संयुक्त खाता की भूमि में से रास्ता की मांग करना उचित नहीं है। खाता विभाजन के समय विभाजित प्रत्येक जोत के लिए खातेदार को मार्ग दिए जाने के प्रावधान है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में संयुक्त खाता की भूमि में से मार्ग स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है ना ही विधिवत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विचारण योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र विचारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर